FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

कानाराम बनाम जगदीश वगै0

किस्म मुकदमा:— प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर:— 90 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
31.07.2018	प्रार्थी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किए जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की प्रकृत्ति एंव आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को जवाव पेश होने तक विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 806, 808, 810, 812 अवस्थित तन् ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ—साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर स्थगन आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14.08.2018 को पेश हो।	
29-10-18	इजराई तारीख पेशी होने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में कोई समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवागमन	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

कानाराम बनाम जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	T.I मु०नं० - 90/2018	
	पुकार कराई गई। वकील प्रार्थी व पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये हैं। अतः वकील प्रार्थी व पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ब्रह्म लाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) SDO- श्रीमाधोपुर	

Scanned by CamScanner